रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, जुलाई 31—अगस्त 6, 2016, शनिवार/श्रावण 9—श्रावण 15, 1938

No. 29] NEW DELHI, JULY 31—AUGUST 6, 2016, SATURDAY/SRAVANA 9—SRAVANA 15, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग स्वागत कर्ता और कनिष्ठ स्वागत अधिकारी भर्ती नियम, 1988 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ स्वागत अधिकारी से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग में कनिष्ठ स्वागत अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग कनिष्ठ स्वागत अधिकारी, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2016 है।

नई दिल्ली, 6 मई, 2015

सा.का.नि. 166.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी सी जी वैकसीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उसका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चैन्नई में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बीसीजी वैक्सीन, प्रयोगशाला, गिंडी, चैन्नई, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.-वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	*06 (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1; 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18-27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के

					अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारिख होगी (न कि वह अंतिम तारिख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अभ्यर्थियों की देशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य अर्हता ; (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी डिप्रैशन की औसत पर 10500 कुंजी डिप्रैशन प्रति घंटा के अनुरुप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)	हां, स्तंभ (1) में उपदर्शित सीमा तक	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) पचासी प्रतिशत, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ii) दस प्रतिशत रिक्तियां ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे समूह 'ग' कर्मचारिवृंद में से भरी जाएंगी जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा पैंतालीस वर्ष है। (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु पचास वर्ष) **टिप्पण :** यदि खण्ड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके। (iii) पांच प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से भरी जाएंगी जिन्होंने ग्रेड वेतन 1800 रु. वाले पदों में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।	स्तंभ (10) में कथित अनुसार

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	लागू नहीं होता ।

(i)	निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला	-अध्यक्ष	
(ii)	उप-निदेशक, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला	-सदस्य	
(iii)	सहायक निदेशक, किंग इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु सरकार	-सदस्य	
(iv)	प्रशासनिक अधिकारी, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला	-सदस्य	

[सं. ए-12018/01/2014-ईपीआई]

सुनील कुमार, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा. का. नि. सं. 178, तारीख 30 दिसम्बर, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 6th May, 2015

G.S.R. 166.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the post of Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Ministry of Health and Family Welfare, B. C. G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely :-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Bacillus Calmette-Guerin Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai Lower Division Clerk (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay Scale.-The number of said post, its classification and pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.-No person,—

(a) who has entered into contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection	Age-limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lower Division Clerk	6* (2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1, Rs. 5200-20200 Plus grade pay of Rs. 1900	Selection	Between 18-27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years, in the case of general candidates and upto forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing dated prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Adaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshdweep).	(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University. (ii) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on Computer (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depression per hour or 9000 key depression per hour on an average of 5 key depression for each word).

					Note 2 : The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Yes, to the extent indicated in column (10).	Two years	(i) Eighty five percent by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) Ten per cent of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the grade pay of Rs. 1800 and who possess 12th Class Pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination.	As stated in column (10).	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of :** (i) Director, BCG Vaccine Laboratory - Chairman (ii) Deputy Assistant Director, BCG Vaccine Laboratory - Member (iii) Assistant Director, King Institute, Government of Tamilnadu - Member (iv) Administrative Officer, BCG Vaccine Laboratory - Member	Not applicable.

		The maximum age-limit for eligibility for examination is Forty Five Years. (Fifty years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates). **Note :** If more of such employees than the number of vacancies available under clause. (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (iii) Five percent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with the grade pay of Rs. 1800. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service			

		by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission.			

[No. A-12018/01/2014-EPI]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published vide notification number GSR No. 178 dated the 30th December, 1981.

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th July, 2016

G.S.R. 167.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) G.S.R. 216, dated the 5th November, 2015, published in Part-II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, English edition, Weekly dated 8th – 14th November, 2015, at page 1593, under Column (13), the words "Consultation with UPSC necessary for filling up of post", shall be read as "Not applicable".

[F. No. A-12018/6/2013-Estt.III]

A. K. SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKH NATH YADAV
Digitally signed by GORAKH NATH YADAV
Date: 2016.08.22 13:47:37 +05'30'